



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270496
CG-DL-E-26022026-270496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 978]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 978]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1022(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1335 (अ), दिनांकित 11 मार्च 2024 के द्वारा बिहार राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 को बिहार राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 के दावथ बाईपास को छोड़कर डिजाइन चैनेज किमी 201.665 से 240.200 किमी (मौजूदा चैनेज किमी 201.665 से किमी 240.200) तक विक्रमगंज-डुमरांव खंड के उपयोग के लिए नीचे की तालिका-1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहन के प्रकार पर पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन के 36.791 किमी [तालिका-2] के निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका-1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट आधार दर के 60% पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई (दूरी) हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (डिजाइन चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
बिहार राज्य के रोहतास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-120 के नारायणपुर के निकट बिक्रमगंज में किमी 208.289 पर	36.791	पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 163.30 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएच-12014/48/2020-आरओ पटना/ई-186646]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 1022(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO No. 1335(E) dated 11.03.2024 issued under section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the New National Highway no. 120 in the State of Bihar to the State Government of Bihar.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said “rules”), the Central Government, hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table -1 for net road section length of 36.791 km [Table 2], for use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicle specified in column (1) of table-1 below for use of Bikramganj - Dumraon section from design chainage Km 201.665 to Km 240.200 (existing chainage Km 201.665 to Km 240.200) excluding Dawath bypass of National Highway number 120 in the state of Bihar and authorises National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through contractor, the said fee, namely: -

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicle	2.40
Heavy construction machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV)(four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the net road length Specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Design Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Bikramganj Km 208.289 near Narayanpur of NH-120 in Rohtas District of Bihar State	36.791	60% of the base rates mentioned in Table-1 above for two lane with paved shoulder section

2. The rate of monthly pass for a person who owns mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometres from the Toll Plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred & Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said rules.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for One way Journey	Two	Twenty-four hours from the time of Payments
Two-third of amount of the fee Payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicle, its permissible load, category of exempted vehicle, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is **163.30 Crore** [The capital cost is subject to variation as the activities of Diversion of forest land, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NH-12014/48/2020-RO Patna /E-186646]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.